



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: Acad / 1028 / 19
दिनांक: 24/01/19

प्रबन्धक/सचिव,
जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज
एण्ड हॉस्पिटल, खैर रोड़, लोधा,
अलीगढ़।

विषय:- जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, खैर रोड़, लोधा, अलीगढ़, उ०प्र० को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में 60 सीटों की आयुष मंत्रालय की शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

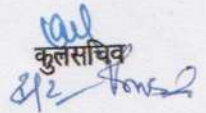
महोदय,

शासनादेश संख्या सम्बा० 1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013, दिनांक 01 अगस्त, 2014 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 02.09.2014 के अनुपालन में आयुर्वेदिक/यूनानी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 18.01.2019 द्वारा स्नातक स्तर पर आयुर्वेदिक संकाय के अन्तर्गत बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक संख्या-2369/71-आयुष-1-2014-130/2014 लखनऊ दिनांक 20 जून, 2014 के अनुपालन में आयुष मंत्रालय की शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है:-

1. संस्था, शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०सी०आई०एम० रेग्यूलेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शिक्षकों एवम् प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण की जाय।

उपरोक्त व्यवस्था उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिवर्तित कर दी गई है, यह व्यवस्था अधिनियम की धारा-5(4) विलोपित किये जाने के अन्तर्गत की गई है।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सी०सी०आई०एम०, जनकपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक (पाठ्यक्रम एवम् मूल्यांकन), उ०प्र० लखनऊ।
6. कुलसचिव, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
7. उपकुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)।

कुलसचिव